निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 249) पटना, वृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

27 जनवरी 2015

सं0 22 / नि0सि0(मोति0)–08–04 / 2012 / 270––श्री राजीव नन्दन मौर्य (आई0डी0–3498), अवर प्रमडंल पदाधिकारी, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, सूरजपुरा (नेपाल) के पद पर पदस्थापित थे, तब नेपाल परिक्षेत्र में अवांछनीय तत्वों के साथ मेलजोल रखने, स्थानीय राजनीति में संलिप्त होने एवं श्री विभूति कुमार सिंह, कनीय अभियंता को धमकी देने, अमर्यादित आचरण, बिना सूचना अनुपस्थित रहने, योगदान नहीं करने तथा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने आदि कतिपय आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–1013 दिनांक 14.09.12 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत संकल्प ज्ञापांक 1285 दिनांक 14.11.12 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर की गई। समीक्षोपरान्त श्री मौर्य को अधिसूचना संख्या–337, दिनांक 21.03.14 द्वारा निलंबन मुक्त करते हुए संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आरोप संख्या–04, बिना सूचना अनुपस्थित रहना, योगदान नहीं करना एवं स्पष्टीकरण का जवाब नहीं समर्पित करने के संबंध में इस जॉच प्रतिवेदन का यह मंतव्य कि छुट्टी स्वीकृति के साथ इनके कर्त्तव्य पालन और दायित्व निर्वहन की जवाबदेही समाप्त हो जायेगी इस आधार पर कि इनके छुट्टी संबंधी आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने के बावजूद इनके द्वारा योगदान नहीं किया गया तथा अन्य संगत आदेश का उल्लंघन किया गया, जैसा प्रमाणित आरोपों के आलोक में जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–338 दिनांक 21.03.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री मौर्य अपने पत्रांक–21 दिनांक 15.04.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया कि श्री मौर्य को विभाग द्वारा छुट्टी संबंधी आवेदन अस्वीकृत किये जाने के बावजूद योगदान नहीं करने तथा अन्य संगत आदेशों को उल्लंघन करने के आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। परन्तु श्री मौर्य के विरूद्ध विभागीय निदेश की अवहेलना कर दिनांक 18.05.12 के पूर्व पदानवत पद यथा सहायक अभियंता के पद पर योगदान नहीं करने के लिए इन्हें आंशिक रूप से दोषी पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोप के सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–1059 दिनांक 05.08.14 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

1. निन्दन वर्ष 2011–12

2. निलंबन अवधि में देय जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, लेकिन निलंबन अवधि को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी।

उक्त दंड के विरूद्ध श्री मौर्य द्वारा अपने पत्रांक 57 दिनांक 12.09.14 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि जिस आरोप के लिए वर्ष 2011–12 की चारित्री में निन्दन की सजा दी गई है वह आरोप मुख्य आरोप के रूप में जोड़ा गया था। यह आरोप मुख्यतः विभागीय निदेश की अवहेलना कर दिनांक 18.05.2012 के पूर्व पदावनत पद (सहायक अभियंता) पर योगदान नहीं करने के कारण आंशिक रूप से दोषी मानते हुए दंडित किये जाने से संबंधित था।

इस पूरे मामले की समीक्षा हेतु सभी संबंधित संचिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी की प्रोन्नति दिनांक 22.11.2007 को रद्द की गई थी और उन्हें मुख्यालय में योगदान करने का निदेश दिया गया है। परन्तु उन्होंने उसी दिन यथा दिनांक 22.11.07 को अवकाश का आवेदन दिया। उसके बाद चिकित्सा के आधार पर विभाग को लगातार आवेदन प्राप्त होते रहे और दिनांक 27.03.12 तक कुल 46 आवेदन समर्पित किये जिसे तत्कालीन अवर सचिव द्वारा एक बार में सभी 46 अवकाश अभ्यावेदनों को रद्द करते हुए प्रस्ताव दिनांक 11.04.12 को उपस्थापित किया गया जिस पर विभागीय सहमति दिनांक 17.04.12 को प्राप्त हुई और यह आदेश दिनांक 25.04.12 को निर्गत हुआ। तदोपरान्त आरोपित पदाधिकारी ने दिनांक 18.05.12 को पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लिया गया। इस प्रकार विभागीय निदेश का अनुपालन करने के निमित उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता है।

अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री मौर्य के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य मानते हुए इनके विरूद्ध विभागीय निदेश के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। तदनुसार इनके विरूद्ध पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–1059 दिनांक 05.08.14 द्वारा दिये गये दंड को निरस्त करने एवं विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0–1059 दिनांक 05.08.14 को निरस्त किया जाता है एवं श्री मौर्य के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

उक्त निर्णय श्री मौर्य, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 249-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in